



प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर

दिनांक 14.04.2024

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिकासी पुलिस टीम द्वारा बरौली खरका मोड वहद ग्राम चिकासी में छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब का बिक्री करने वाले अभियुक्त बब्लू राजपूत पुत्र शिवचरन राजपूत को उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिकासी में मु0अ0सं0 72/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बब्लू राजपूत पुत्र शिवचरन राजपूत (उम्र करीब 44 वर्ष) निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल
- 2.का0 अंकित साहू

